30/7/19

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। शेष सभी अभियोगीगण को सम्मन तामील होने पर भी अनुपस्थित हैं। उपस्थित उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी पक्ष का कहना है कि पेशी के रोज वकील की उपस्थिति नहीं हो पाई, न ही वकील की तरफ से प्रार्थी को उपस्थिति बाबत हिदायत ही थी। इसलिए अदम हाजरी और अदम पैरवी के अपील खारिज कर दी गई। आपीलकर्ता की चूक का खामियाजा प्रार्थी/फरीक को नहीं भुगतना पड़े, इसलिए लामहिल के आवेदन स्वीकार किया जावे।

वकील अभियोगी का कथन है कि अनुपस्थित का कोई फरीक कायम नहीं है, उनकी तरफ से उपेक्षा के चलते मामला लंबा होता रहता है।

उभय पक्ष की दलीलों पर मनन करने के पश्चात् मामला पुनः बहाल इस शर्त पर किया जाता न्यायोचित है कि अपीलार्थी पक्ष अब आगे कोई चूक नहीं करे। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर मूल प्रकरण पुनः बहाल किये जाते हैं। पत्रावली, नियमित सुनवाई के प्रक्रम में ली जाकर आगामी तारीख पेशी से उभय पक्ष को सूचित किया गया। पत्रावली फौरन शुमार होकर नंबर से कायम हो, दाखिल दफ्तर हो।

Dr. Rishyamoli
CJ-RDS
30/7/19

Scanned by CamScanner